



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-15062026-273457
CG-CG-E-15062026-273457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3 (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2952]
No. 2952]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 12 जून, 2026

का.आ. 3058(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश राज्यों में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	पेंड्रा रोड – शहडोल – कटनी चौथी लाइन (201.37 कि. मी.)

[फा. सं. डी.सी.ई./निर्माण/उत्तर/बिलासपुर/पेंड्रा रोड – शहडोल – कटनी चौथी लाइन/ 37ए]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S. E. C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 12 June, 2026

S.O. 3058(E).—In exercise of the power conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project as mentioned in Column (2) of the table below as Special Project in the state of Chhattisgarh & Madhya Pradesh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

SI. No.	Name of Project
(1)	(2)
1.	Pendra Road – Shahdol – Katni 4 th line (201.37 Km.)

[F. No. Dy. CE/Con/North/BSP/Pendra Road – Shahdol – Katni 4th line/37A]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.